

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता सोनी आर.एस.एस.

प्रकरण संख्या:- 133/2011

पीठासीन आईडी :- 2011/0033

1. कृष्णा पुत्री बुधराम पत्नी गोपीराम जाति विशनोई निवासी हाल लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

-वादीया

- शान्तिदेवी पत्नी बुधराम जाति विशनोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(विलोपित)
- धोलूराम पुत्र बुधराम जाति विशनोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
- धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति विशनोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
- सुभाष चन्द्र पुत्र बुधराम जाति विशनोई निवासी डायला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
- राजस्थान सरकार जरियं तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

- श्री रणवीर विशनोई, अधिवक्ता वादी
- श्री सुशील गोदारा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

-: निर्णय :-

दिनांक:-17.02.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.11.2016 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादीनी का वाद आंशिक स्वीकार कर चक 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 82/72 सम्वत् 2066-69 की जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी एवं मंदी में से मंदी भूमि का विभाजन कर खातेदारों को हिस्सा भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। के आदेश दिए गये थे।

तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./17/4722 दिनांक 14.11.2017 अनुसार चक 3 एमएसडी खाता सं. 118 प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1 ता 25 का 5.946 है. कमाण्ड रकबा सुभाषचन्द्र धोलूराम धर्मपाल हर तीन बहिब 5/6 हिस्सा कृष्णा 1/6 हिस्सा पि0 बुधराम जाति विशनोई साकिन देह खातेदार राहिन धालूराम एसबीआई शाखा वाजूवाला, राहिन धर्मपाल हिस्सा एसबीबीजे 7 एलसी, राहिन सुभाषचन्द्र हिस्सा पीएसबी शाखा डायला दर्ज रिकार्ड हैं। मौका अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	रकबा
1	कृष्णा पुत्री बुधराम जाति विशनोई साकिन देह खातेदार	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 21/3/.025, 22/1/.232, 23/.253, 24/.253, 25/.228 कुल 0.991 है. कमाण्ड
2	धोलूराम पुत्र बुधराम जाति विशनोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा वाजूवाला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 15/3/.213, 16/1/.228, 17ता19/.759, 20/1/.228, 21/2/.203, 22/2/.021 कुल 1.652 है. कमाण्ड
3	धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति विशनोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा 7 एलसी मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 8/2/.168, 9/.253, 10/2/.228, 11/1/.228, 12ता14/.759, 15/1/.015 कुल 1.651 है. कमाण्ड
4	सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति विशनोई साकिन देह खातेदार राहिन पीएसबी शाखा डायला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1/2/.202, 2/1/.227, 3/1/.227, 4/1/.228, 5/1/.202, 6/1/.228, 7/.253, 8/1/.085 कुल 1.652 है. कमाण्ड

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस कर लिखित एतराज प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने के लिए निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन करने पर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था। जिसके पश्चात आदेशिका में वकील प्रतिवादीगण को कई बार आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये। तथा इसके पश्चात भी वकील प्रतिवादीगण को न्यायहित में अंतिम एवं कोर्ट पर भी अवसर दिया जा चुका है। परन्तु वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित एतराज आपत्ति पेश नहीं की गयी। अतः इससे स्पष्ट है कि वकील प्रतिवादीगण का उद्देश्य केवल प्रकरण के निरस्तारण में विलम्ब करना था। वकील वादीया ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई है। तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज आपत्ति पेश नहीं की गयी है। प्रति. सं. 2 से 4 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मूल आपत्ति यह है कि वादिनी द्वारा मौखिक रूप से अपना हिस्सा त्याग पूर्व में ही उनके पक्ष में किया गया था। परन्तु पत्रावली पर वर्णित ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो। न्यायालय को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु इन्हें दिनांक 06.03.2019 से लगातार न्यायहित में अनेकों अवसर दिए गए। इनकी मंशा अकारण निर्णय में विलम्ब कारित करने व पुत्री के हक हिस्से को न मानने की प्रतीत होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर पारित निर्णयों में पुत्री के हक को विधि द्वारा संरक्षणीय माना गया है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा राजस्व नियमों के तहत रास्ते आदि का प्रावधान रखते हुए व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का तथा खातेदारों के कब्जा काश्त आदि बिंदुओं के आलोक में विभाजन प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य चक 3 एमएसडी खाता सं. 118 प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1 ता 25 का 5.946 है. कमाण्ड भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से अलग अलग खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	रकबा
1	कृष्णा पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 21/3/.025, 22/1/.232, 23/.253, 24/.253, 25/.228 कुल 0.991 है. कमाण्ड
2	धोलूराम पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा बाजूवाला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 15/3/.213, 16/1/.228, 17ता19/.759, 20/1/.228, 21/2/.203, 22/2/.021 कुल 1.652 है. कमाण्ड
3	धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा 7 एलसी मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 8/2/.168, 9/.253, 10/2/.228, 11/1/.228, 12ता14/.759, 15/1/.015 कुल 1.651 है. कमाण्ड
4	सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन पीएसबी शाखा डाबला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1/2/.202, 2/1/.227, 3/1/.227, 4/1/.228, 5/1/.202, 6/1/.228, 7/.253, 8/1/.085 कुल 1.652 है. कमाण्ड

बैंक के राहिन आदि का अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तनुसार पृथक पृथक खाता में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम भूमि खातेदारी दर्ज करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपपंडित अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

डिक्री व मुकदमें इक्तादाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्दा : दीवानी)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

संख्या:- 133/2011

सीसीएमएस आईडी :- 2011/0033

2 कृष्णा पुत्री बुधराम पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी हाल लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

-वादीया

6. शान्तिदेवी पत्नी बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(विलोपित)
7. धोलूराम पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला
8. धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. सुभाष चन्द पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
10. राजस्थान सरकार जरियं तहसीलदार(राजस्व) डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर रायसिंहनगर

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-प्रतिवादीगण

-: निर्णय :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी श्री रणवीर बिश्नोई दिनांक:-17.02.2021 बिश्नोई अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई श्री सुशील गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ता 4 मिनजानिब मुदायालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि- वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित भिजवाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य चक 3 एमएसडी खाता सं. 118 प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1 ता 25 का 5.946 है. कमाण्ड भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से अलग अलग खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	रकबा
1	कृष्णा पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 21/3/.025, 22/1/.232, 23/.253, 24/253, 25/228 कुल 0.991 है. कमाण्ड
2	धोलूराम पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा वाजूवाला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 15/3/.213, 16/1/.228, 17ता19/.759, 20/1/.228, 21/2/.203, 22/2/.021 कुल 1.652 है. कमाण्ड
3	धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा 7 एलसी मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 8/2/.168, 9/.253, 10/2/.228, 11/1/.228, 12ता14/.759, 15/1/.015 कुल 1.651 है. कमाण्ड
4	सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार राहिन पीएसबी शाखा डाबला मूर्तहीन	प.नं. 147/335 मु.नं. 65 कि.नं. 1/2/.202, 2/1/.227, 3/1/.227, 4/1/.228, 5/1/.202, 6/1/.228, 7/.253, 8/1/.085 कुल 1.652 है. कमाण्ड

बैंक के राहिन आदि का अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तनुसार पृथक पृथक खाता में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम भूमि खातेदारी दर्ज करें। डिक्री आज दिनांक 17.02.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर